

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, 18.12.2018

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration of Charges) Second Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014, for 'Form No.CHG-4', the following form shall be substituted, namely:-

FORM NO. CHG-4

[Pursuant to section 82(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(1) of the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014]



Particulars for satisfaction of charge thereof

Form Language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form

1. (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company
(b) Global location number (GLN) of company
2. (a) Name of the company
(b) Address of the registered office or principal place of business in India of the company

(c) email ID of the company
3. This form is for registration of Satisfaction of charge
4. (a) Whether the form is being filed
(i) Beyond 30 days but within 300 days from the date of satisfaction Yes No
If yes, give reasons for the delay and mention the duration of delay

(ii) Beyond 300 days Yes No
(if yes, an application will be required to be made to Central Government for extension of further time)
- (b) Whether the applicant is Company Charge holder

5. Whether charge is satisfied in favour of asset reconstruction company (ARC) or assignee Yes No

Charge creation identification (CID) number Pre-fill

6. (a) Particulars of the charge holder or ARC or assignee

Name of chargeholder

In case of others,

CIN, if applicable Pre-fill

Name

Address

Email ID

(b) Particulars of creation of original charge and subsequent modifications

(i) Charge creation date (DD/MM/YYYY)

(ii) Charge last modified date (DD/MM/YYYY)

(iii) Final amount secured
(In case the amount is in foreign currency, rupee equivalent to be stated) (in Rs.)

(iv) Amount secured by the charge in words

(v) In case amount secured by the charge is in foreign currency, mention details

7. Date of Satisfaction of charge in full

Attachments

- Letter of the charge holder stating that the amount has been satisfied;
- Optional attachment(s) - if any

List of attachments

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete and as per the attached charge instrument(s) or document(s) and nothing material has been suppressed.

I further declare that:

1. the delay in filing the particulars of satisfaction, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company;
2. no prejudice would be caused to the charge holder(s) or any other creditor(s) of the company, if the delay is condoned;
3. the company has not created or modified any other charge(s) whatsoever on the assets of the company, since the satisfaction of the present charge, for which the application for condonation of delay is being filed;
4. the company is carrying on the business as on the date of filing this application and no proceedings to wind-up the company have commenced or are pending against the company;
5. there is no litigation proceedings pending before any court of law for which condonation of delay is being filed;
6. the company has not applied for striking off the name of the company from the register of Registrar of Companies

To be digitally signed by

DSC Box

Director or manager or company secretary or CEO or CFO (in case of an Indian company)
or an authorised representative (in case of a foreign company)

Designation

DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO or authorised
representative; or Membership number of the company secretary

Declaration

I/we confirm that the attached charge instrument(s) or document(s) is/are true copies of the original which is/are available with the charge holder and/or assignee and all the information and particulars mentioned above are derived there from are concisely and correctly stated. I/we am/are duly authorised to sign this form.

I/we am/are a multilateral/International financial institution who has/have been exempted from payment of income tax in India under the UN Privileges and Immunities Act.

To be digitally signed by

DSC Box

Charge Holder (financial institution or bank or debenture holder etc.)

PAN

Email ID

To be digitally signed by

DSC Box

ARC or assignee

PAN

Email ID

To be digitally signed by

DSC Box

PAN

Designation

Email ID

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- i. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- ii. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

DSC BOX

To be digitally signed by

- Chartered accountant (in whole-time practice) or
- Cost accountant (in whole-time practice) or
- Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow Associate Fellow

Membership number Certificate of Practise number

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

For office use only

eForm Service request number (CRN)


Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby registered

Date of signing

eForm filing date

(DD MM/YYYY)



(DD MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

[F.No. 01/10/2013, Part-I CL-V]


18/12/18

K.V.R.Murty, Joint Secretary.

Note: The principal notification rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R 440(E)	29 th May, 2015
2.	G.S.R. 339 (E)	7 th April, 2017
3.	G.S.R. 614 (E)	5 th July, 2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना


नई दिल्ली...18/12/2018

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014, में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014, में प्ररूप संख्या सीएचजी-4, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

<p>प्ररूप सं. सीएचजी.4</p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 82(1) और कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसरण में]</p>		<p>तुष्टि प्रभार के ब्यौरे</p>
--	---	--------------------------------

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट निर्देशित करें

1. (क) +कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) (पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)
2. (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता
(ग) कंपनी का ई-मेल पता
3. +यह प्ररूप निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए है 0 प्रभार की तुष्टि
4. (क) *क्या यह प्ररूप निम्नलिखित के लिए दायर किया जा रहा है
(i) तुष्टि की तारीख के 30 दिन से अधिक किंतु 300 दिन के भीतर +हां +नहीं
यदि हां, तो विलंब के कारण और विलंब की अवधि का उल्लेख करें
(ii) 300 दिन से अधिक +हां +नहीं
(यदि हां, तो केंद्रीय सरकार को समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा)
(ख) *क्या आवेदक 0 कंपनी 0 प्रभार धारक है।
5. *क्या आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) या समनुदेशिती के पक्ष में प्रभार की तुष्टि की गई है
+ हां + नहीं
*प्रभार सृजन पहचान (आईडी) संख्या (पूर्व पूरित)
6. (क) +प्रभार धारक या समनुदेशिती के ब्यौरे (प्रभार धारकों की सूची प्राप्त करें)

*प्रभार धारक का नाम

अन्य मामलों में

सीआईएन यदि मान्य है (पूर्व पूरित)

नाम

पता

ई-मेल आईडी

(ख) मूल प्रभारों के सृजन और पश्चातवर्ती संशोधन के ब्यौरे

(I) प्रभार सृजन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

(II) प्रभार के अंतिम संशोधन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

(III) *अंतिम प्रतिभूत राशि

(यदि राशि विदेशी मुद्रा में है तो उसके समतुल्य रूप का उल्लेख करें) (रूप में)

(IV) प्रभार द्वारा प्रतिभूत राशि शब्दों में

(V) यदि प्रभार द्वारा प्रतिभूत राशि विदेशी मुद्रा में है, तो ब्यौरा दें

7. *प्रभार तुष्टि की तारीख

संलग्नक

1. *राशि की तुष्टि करते हुए प्रभार धारक का पत्र

संलग्न

संलग्नकों की सूची

2. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

संलग्न

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं तारीख की संकल्प संख्या के माध्यम से कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप और इससे संबंध मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं

यह भी घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सभी सत्य, सही और पूर्ण है और संलग्न प्रभार उपकरणों और दस्तावेजों के अनुसार है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि:

1. तुष्टि की विशिष्टियां दायर करने में विलंब आकस्मिक या लापरवाही के कारण या किसी अन्य उचित कारण से हुई है और इसका/इनका उद्देश्य कंपनी के प्रभारधारकों, शेयरधारकों या लेनदारों की स्थिति का पक्षपात करना नहीं है।
2. यदि विलंब को माफ किया जाता है, तो कंपनी के प्रभारधारक(कों) या अन्य किसी लेनदार(रों) पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा।
3. कंपनी द्वारा वर्तमान प्रभार की तुष्टि, जिसके लिए विलंब की माफी का आवेदन किया जा रहा है, के पश्चात् कंपनी की आस्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार(रों) का सृजन या संशोधन नहीं किया गया है।
4. यह आवेदन करने की तारीख तक कंपनी का व्यवसाय जारी है और कंपनी के समापन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कंपनी के विरुद्ध लंबित नहीं है।
5. किसी भी न्यायालय में कोई ऐसी कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है जिसके विलंब की माफी दायर की जा रही है।
6. कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से कंपनी का नाम काटने के लिए आवेदन नहीं किया है।

डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए

(डीएससी बॉक्स)

निदेशक प्रबंधक या कंपनी सचिव या सीईओ या सीएफओ (भारतीय कंपनी के मामले में)

या एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)

पदनाम.....

निदेशक का डीआईएन संख्या या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि संलग्न प्रभार उपकरण(णों) या दस्तावेज(जों) मूल की सही प्रति हैं जो प्रभार धारक या समनुदेशिनी के पास उपलब्ध है और वहां से ली गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं और विवरण संक्षिप्त और सही रूप से उल्लिखित हैं। मैं/हम इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हूँ/हैं।

मैं/हम एक बहुआयामी/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हूँ/हैं जिसे/जिन्हें यूएन प्रिविलेजिस एंड इम्यूनिटीज एक्ट के अधीन भारत के आयकर भुगतान से छूट दी गई है।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

(डीएससी बॉक्स)

प्रभार धारक (वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर धारी आदि)

पैन

ई-मेल आईडी

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

एआरसी और समनुदेशिती

पैन

ई-मेल आईडी

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

पैन.....

पदनाम.....

ई-मेल आईडी

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में पढ लिया है और मैंने उपरोक्त विवरणों, जो उस प्ररूप की विषयवस्तु है, (जिसमें संलग्नक भी शामिल हैं) को कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित रिकार्डों से सत्यापित कर लिया है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छिपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि

(i) उक्त रिकार्डों को ठीक तरह से बनाया गया है, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अनुरक्षित किया गया है और उन्हें क्रम में पाया गया है।

(ii) सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से संलग्न हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

डीएससी बाक्स

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

क्या एसोशिएट या फेलो है +एसोशिएट +फेलो

सदस्यता संख्या प्रैक्टिस संख्या प्रमाणपत्र

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी के लिए दंड, मिथ्या कथन के लिए दंड और गलत साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान है।

संशोधन प्ररूप चैक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत

केवल कार्यालय उपयोग के लिए: (फाइल करने संबंधी विवरण संलग्न करें)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं (एसआरएन).....ई-प्ररूप जमा करने की तारीख
.....(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत है

प्रस्तुत करें

हस्ताक्षर की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

या

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रखी गई फाइल और दायर करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर बनाई गई है।

+++++

[फा. संख्या 01/10/2013, भाग-1 सी.एल-V]

के.वी.आर.मूर्ति

18/12/18
के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना नियम सा.का.नि संख्या 248(अ) दिनांक 31 मार्च, 2014, के तहत भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित हुए थे तथा उसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किये गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1	सा.का.नि. 440(अ)	29 मई, 2015
2	सा.का.नि. 339(अ)	7 अप्रैल, 2017
3	सा.का.नि. 614(अ)	5 जुलाई, 2018
